



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 683]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2016/आश्विन 6, 1938

No. 683]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2016/ASVINA 6, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2016

सं. 43/2016-सेवा कर

सा.का.नि. 923(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (1), उप-धारा (2) के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, सेवा कर नियमावली, 1994 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :-

1. (1) इन नियमों को सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियमावली, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।

2. सेवा कर नियमावली, 1994 में, फॉर्म एसटी-3 में;

(i) भाग-क में, सारणी में, ए-8 में, -

(क) क्रम सं. ए 8.1 में, शब्दों “व्यक्ति विशेष/ स्वामित्व”, के स्थान पर “व्यक्ति विशेष/ स्वामित्व/ एक सदस्यीय कंपनी” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(ख) क्रम सं. ए 8.2 में, शब्दों “सीमित दायित्व साझेदारी” के स्थान पर “साझेदारी/ सीमित दायित्व साझेदारी” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) भाग ख में,-

(क) सारणी “B1, सेवा प्रदाताओं के लिए”, में क्रम सं. B1.24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“B1.25	क्रम सं. B1.15 की प्रविष्टियों के आधार पर भुगतान योग्य कृषि कल्याण उपकर						
B1.26	क्रम सं. B1.16 की प्रविष्टियों के आधार भुगतान योग्य कृषि कल्याण उपकर						
B1.27	B1.27 में भुगतान योग्य कुल कृषि कल्याण उपकर = B1.25+B1.26”						

(ख) सारणी “B2, सेवा प्राप्तकर्ता के लिए”, में क्रम सं. B2.24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“B2.25	क्रम सं. B2.15 की प्रविष्टियों के आधार पर भुगतान योग्य कृषि कल्याण उपकर						
B2.26	क्रम सं. B2.16 की प्रविष्टियों के आधार पर भुगतान योग्य कृषि कल्याण उपकर						
B2.27	B2.27 में भुगतान योग्य कुल कृषि कल्याण उपकर = B2.25 +B2.26”						

(iii) भाग ग में, सारणी में क्रम सं. C1.1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“C1.2	अग्रिम रूप से जमा किया गया कृषि कल्याण उपकर						
-------	---	--	--	--	--	--	--

(iv) भाग घ के शीर्षक स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

भाग- घ “नकद और सेनेवेट क्रेडिट के माध्यम से भुगतान किया गया सेवाकर

सेवा कर, स्वच्छ भारत उपकर, कृषि कल्याण उपकर, शिक्षा उपकर, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर तथा भुगतान की गई अन्य राशियां”,

(v) भाग घक में, क्रम सं. घक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. तथा प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“DA 4.1	सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6 (4क) के अंतर्गत भुगतान तथा समायोजित किए गए संपत्ति कर की कटौती का लाभ न लेने के कारण अचल सम्पत्ति पर स्वच्छ भारत उपकर के रूप में पहले भुगतान की गई अतिरिक्त राशि का इस अवधि में समायोजन करके”,						
---------	---	--	--	--	--	--	--

(vi) भाग घक के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“भाग घक नकद और सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से भुगतान किया गया कृषि कल्याण उपकर

DB1	नकद रूप में					
DB2	सेनवेट क्रेडिट के द्वारा (वहां लागू नहीं होगा, जहां सेवा प्राप्तकर्ता के द्वारा सेवा कर का भुगतान किया जाना हो)					
DB3	सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6(1क) के अंतर्गत समायोजन के द्वारा अग्रिम रूप से भुगतान किए गए कृषि कल्याण उपकर की राशि।					
DB4	सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6(3) के अंतर्गत इस अवधि में, कृषि कल्याण उपकर से अधिक राशि, जिसका कि भुगतान पहले ही किया जा चुका है, का क्रेडिट लेकर इस अवधि में समायोजन करके किया जाने वाला भुगतान।					
DB5	सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6(4क) के अंतर्गत, पहले भुगतान की गई कृषि कल्याण उपकर की अतिरिक्त राशि का इस अवधि में समायोजन करके।					
DB6	सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6 (4ग) के अंतर्गत भुगतान तथा समायोजित किए गए संपत्ति कर की कटौती का लाभ न लेने के कारण अचल सम्पत्ति को किराए पर दिए जाने वाली सेवा कर पर भुगतान किए गए कृषि कल्याण उपकर की अतिरिक्त राशि का इस अवधि में समायोजन करके।					
DB7	विनिर्दिष्ट सरकारी विभागों के मामले में बहीखातों का समायोजन करके।					
DB8	भुगतान किया गया कुल कृषि कल्याण उपकर DB8=(DB1+DB2+DB3+DB4+DB5+DB6+DB7)”					

(vii) भाग छ में, सारणी में क्रम सं. G16 और उससे संबंधित प्रविष्टयों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टयों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“G17	नकद में भुगतान किए गए कृषि कल्याण उपकर की बकाया राशि					
G18	सेनवेट क्रेडिट का उपयोग करके भुगतान किए गए कृषि कल्याण उपकर की बकाया राशि					
G19	नकद में भुगतान किए गए कृषि कल्याण उपकर पर ब्याज					
G20	नकद में भुगतान किए गए कृषि कल्याण उपकर पर शास्ति					

G21	कृषि कल्याण उपकर पर पिछली बकाया राशि, ब्याज, शास्ति का कुल भुगतान G21=(G17+G18+G19+G20)"						
-----	---	--	--	--	--	--	--

(viii) भाग ज में,-

(क) एच 1 सारणी के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित सारणी के शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“चालान का H1 ब्यौरा (जिसके अंतर्गत सेवा कर, शिक्षा उपकर, स्वच्छ भारत उपकर, कृषि कल्याण उपकर, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर और अन्य धनराशियों का नकद में भुगतान किया गया है)”

(ख) एच2 सारणी के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा

“कॉलम D3, D4, D5, D6, D7; DA2, DA3, DA4, DA4.1, DA5 ; DB3, DB4, DB5, DB6, DB7; E3, E4, E5, E6, E7; F3, F4, F5, F6, F7; G1 to G11, G13 to G15 और G17 से G20 में की गई प्रविष्टियों के संबंध में अग्रिम/समायोजन में किए गए भुगतान के H2 स्रोत दस्तावेज ब्यौरे”

(ix) भाग I में,-

(क) सारणी I-1 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा, -

“I1 कर निर्धारिति को प्रदान की जा रही छूट प्राप्त तथा गैर कर योग्य सेवा अथवा विनिर्माण छूट प्राप्त उत्पाद शुल्क योग्य माल के बारे में ब्यौरा

I1.1	क्या कोई छूट प्राप्त सेवा अथवा गैर-कर योग्य सेवा उपलब्ध कराई जा रही है? ('हां'/'नहीं')	
I1.2	क्या कोई छूट प्राप्त उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का विनिर्माण हुआ है ('हां'/'नहीं')	
I1.3	यदि I1.1 या I1.2 का उत्तर 'हां' है, तो केवल क्या या तो छूट प्राप्त सेवाओं अथवा छूट प्राप्त वस्तुओं के विनिर्माण की मदों से जुड़ा हुआ है? [सेनेवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(2) का संदर्भ लें] ('हां'/'नहीं')	
I1.3.1	यदि I1.3 का उत्तर 'न' है (अर्थात् छूट प्राप्त तथा वे वस्तुएं/सेवाएं जिन पर छूट प्राप्त नहीं है, दोनों प्रदान करना) क्या सेनेवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) (i) के तहत छूट प्राप्त सेवाओं/ वस्तुओं के मूल्य के 2%/7%/6% के राशि का भुगतान किया जा रहा है? ('हां'/'नहीं')	

यदि I1.3.1 'नहीं' (अर्थात् सेनेवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3क) के साथ पठित नियम 6(3) (ii) के तहत भुगतान करने का विकल्प लिया है), तो -

I1.4	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान विनिर्मित छूट प्राप्त वस्तुओं का मूल्य	
I1.5	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदत्त छूट प्राप्त सेवाओं का मूल्य	
I1.6	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान विनिर्मित छूट प्राप्त वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य [नियम 6(3A)(b)(iv)] I1.6=(I1.4+ I1.5 E में संदर्भित)	
I1.7	पिछले वित्तीय वर्ष में गैर-छूट वाली उत्पादित वस्तुओं का मूल्य	

I1.8	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान गैर-चूट वाली प्रदत्त सेवाओं का मूल्य	
I1.9	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान गैर-चूट वाली उत्पादित वस्तुओं और प्रदत्त सेवाओं का कुल मूल्य I1.9=(I1.7+ I1.8)	
I1.10	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और प्रदत्त सेवाओं का कुल मूल्य [नियम 6 (3A)(b)(iv) के F में संदर्भित] I1.10=(I1.6+ I1.9)	
I1.11	इनपुट्स तथा ली गई इनपुट सेवाओं का कुल क्रेडिट [नियम 6(3A)(b) के T में संदर्भित]	
I1.11.1	अपात्र क्रेडिट [नियम 6(3A)(b)(i) के A में संदर्भित]	
I1.11.2	पात्र क्रेडिट [नियम 6(3A)(b)(ii) के B में संदर्भित]	
I1.11.3	सामान्य क्रेडिट [नियम 6(3A)(b)(iii)] C=T-(A+B) [I1.11.3 = I1.11 – (I1.11.1 + I1.11.2) के C में संदर्भित]	
I1.11.4	अपात्र सामान्य क्रेडिट [नियम 6(3A)(b)(iv) के D में संदर्भित] D=(E/F) x C (I1.11.4= [(I1.6 / I 1.10) x I1.11.3]	
I1.11.5	पात्र सामान्य क्रेडिट [नियम 6(3A)(b)(v) के G में संदर्भित] G=C-D I1.11.5= (I1.11.3 - I1.11.4)	
I1.12	बैंकिंग कंपनियों तथा वित्तीय संस्थानों हेतु नियम 6 (3ख) के तहत वापस की गई राशि	

I1.11 से I1.12 हर महीने/ तिमाही के लिए प्रविष्टि होगी ”

(ख) सारणी I3.3 , के स्थान पर निम्न सारणी को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“I3.4 कृषि कल्याण उपकर पर लिए गए सेनेवेट क्रेडिट तथा उसके उपयोग का व्यौरा –

I3.4.1	कृषि कल्याण उपकर का प्रारम्भिक शेष					
I3.4.2	लिए गए कृषि कल्याण उपकर का क्रेडिट					
I3.4.2.1	सीधे प्राप्त की गई इनपुट सेवाओं पर					
I3.4.2.2	इनपुट सेवा वितरक से प्राप्त किया गया					
I3.4.2.3	कोई अन्य क्रेडिट लिया गया (कृपया स्पष्ट करें)					

I3.4.2.4	लिए गए कृषि कल्याण उपकर का कुल क्रेडिट I 3.4.2.4=(I3.4.2.1+ I3.4.2.2+ I3.4.2.3)						
I3.4.3	उपयोग किए गए कृषि कल्याण उपकर						
I3.4.3.1	सेवाओं पर कृषि कल्याण उपकर के भुगतान हेतु						
I3.4.3.2	किसी अन्य भुगतान/ समायोजन/ वापसी (कृपया स्पष्ट करें)						
I3.4.3.3	उपयोग किए गए कृषि कल्याण उपकर का कुल क्रेडिट I3.4.3.3=(I3.4.3.1+ I3.4.3.2)						
I3.4.4	कृषि कल्याण उपकर का अंतिम शेष I3.4.4={(I3.4.1+ I3.4.2.4)-I3.4.3.3}";						

(x) भाग J के स्थान पर निम्नलिखित भाग को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा –

“भाग- J

इनपुट सेवा वितरकों हेतु क्रेडिट का ब्यौरा

(केवल इनपुट सेवा वितरक द्वारा ही भरा जाएगा):

क्र.सं.	महीना/ तिमाही	अप्रैल/ अक्टू.	मई/ नव.	जून/ दिस.	जुलाई/ जन.	अग./ फरवरी	सित./ मार्च

J1 सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की ली गई सेनवेट क्रेडिट और उसके वितरण का ब्यौरा –

J1.1	सेनवेट क्रेडिट का प्रारम्भिक शेष						
J1.2	इनपुट सेवाओं पर ली गई क्रेडिट (वितरण के लिए)						
J1.3	वितरित सेनवेट क्रेडिट						
J1.4	सेनवेट क्रेडिट का अंतिम शेष J1.4={(J1.1+J1.2)-J1.3}						

J2 शिक्षा उपकर की ली गई सेनवेट क्रेडिट और उसके वितरण का ब्यौरा –

J2.1	शिक्षा उपकर की सेनवेट क्रेडिट का प्रारम्भिक शेष						
J2.2	शिक्षा उपकर पर ली गई क्रेडिट (वितरण के लिए)						
J2.3	वितरित शिक्षा उपकर क्रेडिट						
J2.4	शिक्षा उपकर की सेनवेट क्रेडिट का अंतिम शेष J2.4={(J2.1+J2.2) - J2.3}						

J3 माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर पर ली गई सेनवेट क्रेडिट और उसके वितरण का ब्यौरा -

J3.1	माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर की सेनवेट क्रेडिट का प्रारम्भिक शेष						
J3.2	माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर पर ली गई क्रेडिट (वितरण के लिए)						
J3.3	वितरित माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर क्रेडिट						
J3.4	माध्यमिक और उच्च शिक्षा का वितरित शेष = $J3.4 = \{(J3.1 + J3.2) - J3.3\}$						

J4 कृषि कल्याण उपकर पर ली गई सेनवेट क्रेडिट और उसके वितरण का ब्यौरा -

J4.1	कृषि कल्याण उपकर की सेनवेट क्रेडिट का प्रारम्भिक शेष						
J4.2	कृषि कल्याण उपकर पर ली गई क्रेडिट (वितरण के लिए)						
J4.3	वितरित कृषि कल्याण उपकर क्रेडिट						
J4.4	कृषि कल्याण उपकर के सेनवेट क्रेडिट का अंतिम शेष $J4.4 = \{(J4.1 + J4.2) - J4.3\}$ "						

(xi) भाग ठ के पश्चात फार्म एसटी-3 के भरे जाने से संबंधित निर्देशों के अंतर्गत, सारणी में, फार्म एसटी-3 के कॉलम सं. के क्रम सं. J1.4, J2.4 और J3.4 तथा उससे संबंधित प्रिवष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा।

[फा. सं. 137/60/2015-सेवा कर]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

नोट : प्रधान नियम, दिनांक 28 जून, 1994 की सा.का.नि. सं. 546(अ), के अंतर्गत, दिनांक 28 जून, 1994 की अधिसूचना सं. 2/94- सेवा कर के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे और इनमें दिनांक 26 मई, 2016 की अधिसूचना सं. 31/2016-सेवा कर सा.का.नि. सं. 554(अ), दिनांक 26 मई, 2016 के तहत अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2016

No. 43/2016-Service Tax

G.S.R. 923(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely:—

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Third Amendment) Rules, 2016.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Service Tax Rules, 1994, in Form ST- 3,-

(i) in Part-A, in the Table, in A8,-

(a) in serial number A 8.1, for the words “Individual/Proprietary”, the words “Individual/Proprietary/One Person Company” shall be substituted;

(b) in serial number A 8.2, for the words “Limited Liability Partnership”, the words “Partnership/Limited Liability Partnership” shall be substituted;

(ii) in Part -B,-

(a) in the Table “B1 FOR SERVICE PROVIDER”, after serial number B1.24 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“B1.25	Krishi Kalyan Cess payable based on entries in serial number B1.15						
B1.26	Krishi Kalyan Cess payable based on entries in serial number B1.16						
B1.27	Total Krishi Kalyan Cess payable B1.27=B1.25+B1.26”;						

(b) in the Table “B2 FOR SERVICE RECEIVER”, after serial number B2.24 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“B2.25	Krishi Kalyan Cess payable based on entries in serial number B2.15						
B2.26	Krishi Kalyan Cess payable based on entries in serial number B2.16						
B2.27	Total Krishi Kalyan Cess payable B2.27=B2.25+B2.26”;						

(iii) in Part-C, in the Table, after serial number C1.1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“C1.2	Krishi Kalyan Cess deposited in advance”;						
-------	---	--	--	--	--	--	--

(iv) for the Part-D heading, the following heading shall be substituted, namely:-

“ Part-D SERVICE TAX PAID IN CASH AND THROUGH CENVAT CREDIT

Service Tax, Swachh Bharat Cess, Krishi Kalyan Cess, Education Cess, Secondary and Higher Education Cess and other amounts paid”;

(v) in Part DA, after serial number DA4 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted namely :-

“DA4.1	By adjustment of excess amount paid earlier as Swachh Bharat Cess in respect of immovable property on account of non availment of deduction of property tax paid and adjusted in this period under rule 6(4C) of the Service Tax Rules,1994”;						
--------	---	--	--	--	--	--	--

(vi) after Part DA, the following part shall be inserted, namely:-

“PART DB- KRISHI KALYAN CESS PAID IN CASH AND THROUGH CENVAT CREDIT

DB1	In cash					
DB2	By CENVAT credit (not applicable where the service tax is liable to be paid by the recipient of service)					
DB3	By adjustment of amount paid as Krishi Kalyan Cess in advance under rule 6(1A) of the Service Tax Rules, 1994					
DB4	By adjustment of excess amount paid earlier as Krishi Kalyan Cess and adjusted, by taking credit of such excess Krishi Kalyan Cess paid, in this period under rule 6(3) of the Service Tax Rules, 1994					
DB5	By adjustment of excess amount paid earlier as Krishi Kalyan Cess and adjusted in this period under rule 6(4A) of the Service Tax Rules, 1994					
DB6	By adjustment of excess amount paid earlier as Krishi Kalyan Cess in respect of service of Renting of Immovable Property, on account of non-availment of deduction of property tax paid and adjusted in this period under rule 6(4C) of the Service Tax Rules, 1994					
DB7	By book adjustment in the case of specified Government departments					
DB8	Total Krishi Kalyan Cess paid DB8=(DB1+DB2+DB3+DB4+DB5+DB6+DB7);					

(vii) in Part G, in the Table, after serial number G16 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:-

“G17	Arrears of Krishi Kalyan Cess paid in cash					
G18	Arrears of Krishi Kalyan Cess paid by utilising Cenvat Credit					
G19	Interest on Krishi Kalyan Cess paid in cash					
G20	Penalty on Krishi Kalyan Cess paid in cash					
G21	Total payment of arrears, interest, penalty on Krishi Kalyan Cess G21=(G17+G18+G19+G20);					

(viii) in PART H,-

(a) for H1 Table heading, the following Table heading shall be substituted, namely:-

“H1 DETAILS OF CHALLAN (vide which Service Tax, Swachh Bharat Cess, Krishi Kalyan Cess, Education Cess, Secondary and Higher Education Cess and other amounts have been paid in cash)”;

(b) for H2 Table heading, the following Table heading shall be substituted, namely:-

“H2 Source document details for payments made in advance/adjustment, for entries made at column D3, D4, D5, D6, D7; DA2, DA3, DA4, DA4.1, DA5 ; DB3, DB4, DB5, DB6, DB7; E3, E4, E5, E6, E7; F3, F4, F5, F6, F7; G1 to G11, G13 to G15 and G17 to G20.”;

(ix) in PART - I,-

(a) for the Table I-1 the following Table shall be substituted, namely,-

“I1 DETAILS ABOUT THE ASSESSEE PROVIDING EXEMPTED AND NON-TAXABLE SERVICE OR MANUFACTURING EXEMPTED EXCISABLE GOODS”

I1.1	Whether providing any exempted service or non-taxable service? ('Y'/'N')	
I1.2	Whether manufacturing any exempted excisable goods? ('Y'/'N')	
I1.3	If reply to I1.1 OR I1.2 is 'Y', Whether exclusively engaged either in the provision of exempted services or in the manufacture of exempted goods? [refer to rule 6(2) of the Cenvat Credit Rules, 2004] ('Y'/'N')	
I1.3.1	If reply to I1.3 is 'N' (i.e., providing both exempted and non-exempted goods/services), Whether paying an amount equal to 2%/7%/6% of the value of exempted services/goods under rule 6(3)(i) of CENVAT Credit Rules, 2004? ('Y'/'N')	
If reply to I1.3.1 is 'N' (i.e., opting to pay under Rule 6(3)(ii) read with rule 6(3A) of CENVAT Credit Rules, 2004), then -		
I1.4	Value of exempted goods manufactured during the preceding financial year	
I1.5	Value of exempted services provided during the preceding financial year	
I1.6	Total value of exempted goods manufactured and services provided during the preceding financial year [refer to E in rule 6(3A)(b)(iv)] I1.6=(I1.4+I1.5)	
I1.7	Value of non-exempted goods manufactured during the preceding financial year	
I1.8	Value of non-exempted services provided during the preceding financial year	
I1.9	Total value of non-exempted goods manufactured and services provided during the preceding financial year I1.9=(I1.7+I1.8)	
I1.10	Total value of goods manufactured and services provided during the preceding financial year [refer to F in rule 6 (3A)(b)(iv)] I1.10=(I1.6+I1.9)	
I1.11	Total credit of inputs and input services taken [refer to T in rule 6(3A)(b)]	
I1.11.1	Ineligible credit [refer to A in rule 6(3A)(b)(i)]	
I1.11.2	Eligible credit [refer to B in rule 6(3A)(b)(ii)]	
I1.11.3	Common credit [refer to C in rule 6(3A)(b)(iii)] C=T-(A+B) [I1.11.3 = I1.11 – (I1.11.1 + I1.11.2)]	
I1.11.4	Ineligible common credit [refer to D in rule 6(3A)(b)(iv)] D=(E/F) x C (I1.11.4= [(I1.6 / I1.10) x I1.11.3])	
I1.11.5	Eligible common credit [refer to G in rule 6(3A)(b)(v)] G=C-D I1.11.5= (I1.11.3 - I1.11.4)	
I1.12	Amount reversed under rule 6(3B) for banking companies and financial institutions	

I1.11 to I1.12 will be a entry for each month / quarter.”;

(b) after I3.3 , the following Table shall be inserted namely:-

“I3.4 DETAILS OF CENVAT CREDIT OF KRISHI KALYAN CESS TAKEN AND UTILISATION THEREOF –

I3.4.1	Opening Balance of Krishi Kalyan Cess						
I3.4.2	Credit of Krishi Kalyan Cess taken						
I3.4.2.1	on input services received directly						
I3.4.2.2	as received from Input Service Distributor						
I3.4.2.3	Any other credit taken (please specify)						
I3.4.2.4	Total credit of Krishi Kalyan Cess taken I3.4.2.4=(I3.4.2.1+I3.4.2.2+I3.4.2.3)						
I3.4.3	Credit of Krishi Kalyan Cess utilised						
I3.4.3.1	for payment of Krishi Kalyan Cess on services						
I3.4.3.2	for any other payments/adjustments/ reversal (please specify)						
I3.4.3.3	Total credit of Krishi Kalyan Cess utilised I3.4.3.3=(I3.4.3.1+I3.4.3.2)						
I3.4.4	Closing Balance of Krishi Kalyan Cess I3.4.4={(I3.4.1+I3.4.2.4)-I3.4.3.3}”;						

(x) for Part J, the following Part shall be substituted, namely:-

“PART J

CREDIT DETAILS FOR INPUT SERVICE DISTRIBUTOR

(TO BE FILLED ONLY BY AN INPUT SERVICE DISTRIBUTOR):

Sl. No.	Month/Quarter	Apr/ Oct	May/ Nov	June/ Dec	July/ Jan	Aug/ Feb	Sep/ Mar

J1 DETAILS OF CENVAT CREDIT OF SERVICE TAX AND CENTRAL EXCISE DUTY TAKEN AND DISTRIBUTION THEREOF –

J1.1	Opening Balance of CENVAT credit						
J1.2	Credit taken (for distribution)on input services						
J1.3	Credit of CENVAT distributed						
J1.4	Closing Balance of Cenvat credit J1.4={(J1.1+J1.2)- J1.3}						

J2 DETAILS OF CENVAT CREDIT OF EDUCATION CESS TAKEN AND DISTRIBUTION THEREOF –

J2.1	Opening Balance of CENVAT credit of Education Cess						
------	--	--	--	--	--	--	--

J2.2	Credit of Education Cess taken (for distribution) on input services						
J2.3	Credit of Education Cess distributed						
J2.4	Closing Balance of Cenvat credit of EC J2.4={(J2.1+J2.2) - J2.3}						

J3 DETAILS OF CENVAT CREDIT OF SECONDARY AND HIGHER EDUCATION CESS TAKEN AND DISTRIBUTION THEREOF –

J3.1	Opening Balance of CENVAT credit of SHEC						
J3.2	Credit taken of SHEC (for distribution) on input services						
J3.3	Credit of SHEC distributed						
J3.4	Closing Balance of Cenvat credit of SHEC= J3.4={(J3.1+J3.2)-J3.3}						

J4 DETAILS OF CENVAT CREDIT OF KRISHI KALYAN CESS TAKEN AND DISTRIBUTION THEREOF –

J4.1	Opening balance of CENVAT credit of Krishi Kalyan Cess						
J4.2	Credit of Krishi Kalyan Cess taken (for distribution) on input services						
J4.3	Credit of Krishi Kalyan Cess distributed						
J4.4	Closing Balance of CENVAT credit of Krishi Kalyan Cess J4.4={(J4.1+J4.2) – J4.3}”;						

(xi) after Part L, under the heading Instructions to fill up Form ST-3, in the Table, the Column No. in form ST 3, the Sr. No. J1.4, J2.4 & J3.4 and the entries relating thereto shall be omitted.

. [F. No. 137/60/2016-Service Tax]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification No. 2/94-SERVICE TAX, dated the 28th June, 1994 vide number G.S.R. 546 (E), dated the 28th June, 1994 and last amended vide notification No. 31/2016-SERVICE TAX, dated the 26th May, 2016 vide number G.S.R. 554(E) dated 26th May, 2016.